रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2002/वैशाख 27, 1924
No. 104] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2002/VAISAKHA 27, 1924

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 29 अप्रैल, 2002

सं. एक्सिम/पेंशन/2002.— भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली 2000 में संशोधन करने के लिए - भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के (1981का संख्यांक 28) की धारा 27 की उप धारा (3) के साथ पठित धारा 39 की उप धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके, भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मंडल केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली, बनाता है, नामतः

1. (1) ये विनियम, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियमावली, 2002, कहलायेंगे;

(2) यह विनियमावली इसमें अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित स्थिति को छोड़कर, शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगी ।

2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमावली, **2000** में-

(क) विनिमय के 3 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा ; नामतः

"3. लागू होना, -

यह विनियमावली उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो; -

(1) (क) जनवरी, 1986 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद, बैंक की सेवा में थे परन्तु जो नवम्बर

1993 की पहली तारीख से पहले सेवानिवृत्त हुए थे; और

(ख) जिन्होंने अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर लिखित रूप में निधि का सदस्य बनने के विकल्प का उपयोग किया है; और

(ग) जिन्होंने खंड (ख) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित छह प्रतिशत वार्षिक दर पर ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती है, अथवा

(2) (क) जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं किन्तु अधिसूचित तारीख से पहले; और

(ख) जो अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि के सदस्य बने रहने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करते हैं; और

(ग) जिन्होंने खंड (ख) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज, छह प्रतिशत वार्षिक दर पर ऐसे और साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि वापस कर दी हो, जो भविष्य निधि लेखे से निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती है; अथवा

(3) (क) जो अधिसूचित तारीख से पहले बैंक की सेवा में रहे हैं और जो बैंक की सेवा में, अधिसूचना की तारीख को अथवा उसके बाद बने रहे हैं; और

(ख) जो अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर, निधि के सदस्य बने रहने के विकल्प का, लिखित रूप में उपयोग करते हैं; और

(ग) जो भविष्य निधि न्यास को, बैंक का संपूर्ण अंशदान, उस पर प्रोद्भूत ब्याज के साथ निधि, जिसका गठन विनियम 5 के प्रयोजन से किया गया है, में जमा करने के लिए अंतरण के लिए प्राधिकृत करता है ।

(4) जो अधिसूचित तारीख को अथवा उसके बाद बैंक की सेवा में कार्यभार ग्रहण करते हैं; अथवा

(5) जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद किसी समय के दौरान बैंक की सेवा में थे और जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के बाद परन्तु अधिसूचित तारीख से पहले हो गयी थी और ऐसे मामले में उनका परिवार इस विनियमावली के अधीन, यथास्थिति, पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा बशर्ते मृतक का परिवार-

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करे; और

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित और छह प्रतिशत वार्षिक दर से ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती हो; अथवा

(6) जिन्होंने बैंक की सेवा में नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया है परन्तु अधिसूचित किये जाने की तारीख से पहले ही, बैंक की सेवा में रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई है ऐसे अधिकारियों के परिवार, इस विनियमावली के अधीन परिवार पेंशन के लिए हकदार होंगे,

बशर्ते, ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार अधिसूचित किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर भविष्य निधि में किए गए बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि, यदि कोई है, और उस पर प्रोद्भूत ब्याज को भविष्य निधि लेखे की निपटान की तारीख से बैंक का उपर्युक्त राशि की वापस करने की तारीख तक पुनः छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज के साथ, वापस कर दे;

यह भी शर्त है कि ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार लिखित रूप में परिवार पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदन करे; अथवा

(7) जो जनवरी 1986 की पहले तारीख को किसी समय के दौरान अथवा उसके बाद, बैंक की सेवा में थे और जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए अक्तूबर 1993 के इकतीसवें दिन को या उससे पूर्व हो गई है अथवा सेवानिवृत्ति अक्तूबर 1993 की इकतीसवें दिन को या उससे पूर्व परन्तु अधिसूचित

तारीख से पहले हो गयी थी और ऐसे मामले में उनका परिवार इस विनियमावली के अधीन, यथास्थिति, पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा बशर्ते मृतक का परिवार-

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करे; और

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित और छह प्रतिशत वार्षिक दर से ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक बनती हो ;

(8) बैंक की सेवा में अक्तूबर 1993 के इकतीसवें दिन या उससे पहले या उसके बाद में, कार्यभार ग्रहण करते हैं और जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए नवम्बर 1993 की पहली तारीख को परन्तु अधिसूचित तारीख से पहले हो गयी थी और ऐसे मामले में उनका परिवार इस विनियमावली के अधीन, यथास्थिति, पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा बशर्ते मृतक का परिवार -

(क) अधिसूचित तारीख से एक सौ बीस दिनों के भीतर निधि का सदस्य बनने के विकल्प का लिखित रूप में उपयोग करे; और

(ख) उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ बीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद साठ दिनों के भीतर भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित और छह प्रतिशत वार्षिक दर से ऐसे और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की सम्पूर्ण राशि वापस कर दी हो जो भविष्य निधि लेखे के निपटान की तारीख से बैंक को पूर्वोक्त राशि की वापसी की तारीख तक का उक्त राशि का ब्याज बनता हो;

(9) (क) उप विनियम (1), (2), (3), (5) और (8) में किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी अथवा निपटान के अनुसरण में मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा अधिसूचित तारीख से पहले विकल्प का उपयोग किया गया है तो उसे इस अध्याय के प्रयोजन से विकल्प के रूप में माना जाएगा, यदि ऐसा कर्मचारी अथवा ऐसे मृतक कर्मचारी का परिवार अधिसूचित तारीख, से साठ

दिनों के भीतर, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज और अधिक साधारण ब्याज के साथ बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार वापस कर देता है और ऐसे मामलें में जहाँ भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान भविष्य निधि न्यास के प्राप्त नहीं हुआ है, तथा अधिसूचना की तारीख से साठ दिनों के भीतर, बैंक के भविष्य निधि के न्यासियों को, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की संपूर्ण राशि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, भविष्य निधि में बैंक के अंशदान को, इस अध्याय में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विनियम 5 के अधीन, इस प्रयोजन से गठित निधि में जमा के प्रयोजन से प्राधिकृत किया है अथवा करता है ।"

(ख) विनियम 33 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

33. जो कर्मचारी 1.1.1986 से 31.10.1993 तक और अधिसूचित तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा जिसकी मृत्यु हुई है उनके लिए पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन की अदायगी -

(1) जो कर्मचारी 1 जनवरी, 1986 के पहले दिन और अक्तूबर 1993 के 31 वें दिन के बीच बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है वह नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पेंशन के लिए का पात्र होगा ।

(2) विनियम 3 के उप विनियम (7) में दिये गये उपबंधों से नियंत्रित मृत कर्मचारी का परिवार नवम्बर 1993 की पहली तारीख से अथवा मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख, इनमें से जो भी बाद की तारीख हो से लागू पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा ।

(ग) विनियम 35 के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"35. न्यूनतम पेंशन -

पेंशन की न्यूनतम राशि निम्नलिखित अनुसार होगी -

(क) ऐसे किसी कर्मचारी के मामलें में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं, तीन सौ पचहत्तर रुपये प्रतिमाह ; और

(ख) ऐसे किसी कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर की 1993 पहली तारीख को या उसके बाद सेवा निवृत्त हुए हैं, सात सौ बीस रुपये प्रतिमाह । "

(घ) विनियम 39 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

"**39. पारिवारिक पेंशन की अदायगी की अवधि** –

(1) जिस अवधि के लिए पारिवारिक पेंशन देय होगी वह नीचे लिखे अनुसार होगी :

(क) विधवा अथवा विधुर के मामले में मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तारीख में से जो भी पहले हो उस तारीख तक;

(ख) पुत्र के मामले में तब तक जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता; और

(ग) अविवाहित पुत्री के मामले में जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती अथवा जब तक वह विवाहित नहीं हो जाती, इनमें से जो भी अवधि पहले हो:

परंतु यह शर्त है कि यदि किसी कर्मचारी का पुत्र अथवा पुत्री किसी विसंगति (डिसऑर्डर) अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रसित हो अथवा वह शारीरिक रूप से इतना (इतनी) विकलांग अथवा असमर्थ हो कि वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी जीवन यापन करने के लिए अर्जन करने में असमर्थ हो तो ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को उसके जीवनभर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन देय होगी, नामतः

(i) यदि ऐसा पुत्र या पुत्री कर्मचारी के दो या दो से अधिक बच्चों में से एक है तो पारिवारिक पेंशन प्रारंभिक रूप से अवयस्क बच्चे को उप-विनियम (1) के खंड (ङ) में निर्धारित क्रम से तब तक देय होगी जब तक वह पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता और इसके बाद पारिवारिक पेंशन उस पुत्र अथवा पुत्री के पक्ष में फिर से लागू की जाएगी जो विसंगति अथवा जो मानसिक असमर्थता से ग्रसित है अथवा जो शारीरीक रूप से विकलांग अथवा असमर्थ है तथा वह उसे जीवनभर देय होगी;

(ii) यदि विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे एक से अधिक बच्चे हों तो पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम से अदा की जाएगी तथा उनमें सबसे छोटा बच्चा पारिवारिक पेंशन उसके बाद ही प्राप्त करेगा जब उससे ठीक बड़ा बच्चा, बच्चे के रूप में पेंशन के लिए पात्र होना बंद हो जाता है :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ ऐसे दो बच्चों को पारिवारिक पेंशन अदा की जानी है वहाँ वह उप-विनियम (1) के खंड (च) में निर्धारित विधि से अदा की जाएगी;

(iii) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन एक अभिभावक के माध्यम से अदा की जाएगी मानो की वह एक अवयस्क हो और इसका अपवाद शारीरिक रूप से विकलांग ऐसा पुत्र अथवा ऐसी पुत्री का मामला होगा, जिसने वयस्कता आयु प्राप्त कर ली हो;

(iv) किसी ऐसे पुत्र या पुत्री को जीवनभर की पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने से पहले सक्षम प्राधिकारी इसका संतोष कर लेगा कि विकलांगता ऐसे स्वरूप की है जो उसे अपना जीवन-यापन करने के लिए अर्जन करने से रोकती है और इसका साक्ष्य स्वरूप बैंक द्वारा अनुमोदित किसी चिकित्सा अधिकारी से ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा जिनमें यथा संभव यह निर्धारित किया गया हो कि बच्चे की ठीक-ठीक मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति क्या है;

(v) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री का अभिभावक रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करनेवाला व्यक्ति अथवा अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त न करने वाला ऐसा पुत्र या पुत्री प्रत्येक तीन वर्षों में बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसकी विसंगति अथवा मानसिक असमर्थता से ग्रस्त होना जारी है अथवा उसकी शारीरिक रूप से विकलांगता अथवा असमर्थ होना जारी है ।

स्पष्टीकरण : इस विनियम में निर्दिष्ट आयु सीमा के बाद की अवधि में असमर्थ बच्चों को पारिवारिक पेंशन का प्रदान किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, नामतः

(i) पुत्री के मामले में वह उस तारीख से पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र बन जाएगी जिस तारीख को वह विवाहित हो जाती है;

(ii) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को देय पारिवारिक पेंशन तब बंद हो जाएगी जब वह स्वयं अपने जीवन यापन के लिए अर्जन करना प्रारंभ कर देता है/देती है। ऐसे मामलों में अभिभावक अथवा पुत्र अथवा पुत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक माह बैंक को यह प्रमाणपत्र पेश करे कि -

(अ) उसने अपना जीवन-यापन करने के लिए अर्जन करना प्रारंभ नहीं किया है;

(आ) पुत्री के मामले में उसने अभी तक विवाह नहीं किया है;

(घ) यदि कोई मृत कर्मचारी अथवा पेंशनर अपने पीछे विधवा अथवा विधुर छोड़ जाता/जाती है तो पारिवारिक पेंशन, विधवा विधुर को देय होगी और ऐसा ना होने पर वह, पात्र बच्चे को देय होगी

(ङ) बच्चों को पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम में देय होगी और उनमें से छोटा बच्चा तब तक पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा जब तक उससे ठीक बड़ा बच्चा पारिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने के लिए अपात्र नहीं बन जाता ;

परंतु यह शर्त है कि जहां पारिवारिक पेंशन दो बच्चों को देय है वहाँ वह उप-विनियम (1) के खंड (च) में निर्धारित की गयी विधि से अदा की जाएगी :

(च) जहाँ पारिवारिक पेंशन दो जुड़वा बच्चों की देय है वहाँ वह इन बच्चों को बराबर के अंशों में अदा की जाएगी :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ ऐसी किसी बच्चे का पात्र होना बंद हो जाता है वहाँ उसका अंश अन्य बच्चे को प्राप्त हो जाएगा और जहाँ दोनों बच्चों का पात्र होना बंद हो जाता है वहाँ पारिवारिक पेंशन, यथास्थिति, दूसरे पात्र अकेले बच्चे अथवा दो जुड़वाँ बच्चों को देय होगी ।

(2) जहाँ मृत कर्मचारी अथवा पेंशनर अपने पीछे एक से अधिक बच्चा छोड़ जाता है वहाँ सबसे बड़ा पात्र बच्चा उप-विनियम (1) की यथास्थिति, खंड (ख) अथवा (ग) में उल्लिखित अवधि पारिवारिक पेंशन का पात्र होगा और उस अवधि की समाप्ति के बाद अगला बच्चा पारिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने का पात्र बन जायेगा ।

(3) जहाँ इस विनियम के अधीन किसी अवयस्क को पारिवारिक पेंशन मंजूर की गयी हो वहाँ यह अवयस्क की ओर से अभिभावक को देय होगी ।

(4) यदि पति या पत्नि दोंनों ही बैंक के कर्मचारी हों और वे इस विनियम के उपबंधों से नियंत्रित होते हैं तथा उनमें से एक सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद मृत हो जाता है जो मृत व्यक्ति से संबंधित पारिवारिक पेंशन जीवित बचने वाले पति अथवा पत्नी को देय होगी तथा पति अथवा

पत्नी की मृत्यु की स्थिति में जीवित रहने वाले बच्चे अथवा बच्चों को दो पारिवारिक पेंशनें निम्नलिखित सीमाओं के भीतर मृतक माता-पिता के संबंध में प्रदान की जाएंगी, नामत :-

(क) यदि जीवित रहने वाला बच्चा अथवा बच्चे, विनियम 38 के उप विनियम (3) के खंड (क) के उप खंड (i) और खंड (ख) के उप खंड (i) में उल्लिखित दरों से दो पारिवारिक पेंशन आहरित करने के पात्र हैं तो दोनों पेंशनों की राशि ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त होते हैं या मृत होते हैं, के मामले में दो हज़ार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह तक तथा ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं या मृत होते हैं के मामले में चार हज़ार आठ सौ रुपये प्रतिमाह तक सीमित होगी ।

(ख) यदि पारिवारिक पेंशनों से किसी एक का विनियम 38, के उप विनियम (3) के खंड (क) के उप खंड (i) और खंड (ख) के उप खंड (i) में उल्लिखित दरों से देय होना बंद हो जाता है और उसके बदले मे विनियम 38 के उप विनियम (1) में उल्लिखित दर से पारिवारिक पेंशन देय हो जाती है तो दोनों पेंशनों की राशि ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त होते हैं या मृत होते हैं, के मामले में दो हज़ार पाँच सौ रुपये प्रतिमाह तक तथा ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं या मृत होते हैं के मामले में, चार हज़ार आठ सौ रुपये प्रतिमाह तक सीमित कर दी जाएगी ।

(ग) यदि दोनों पारिवारिक पेंशनें विनियम के 38 उप विनियम (1) में उल्लिखित दर से देय हैं तो दोनों पेंशनों की राशि ऐसे कर्मचारी के मामले में जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से पहले सेवा निवृत्त होते हैं या मृत होते हैं, के मामले में एक हज़ार दो सौ पचास रुपये प्रतिमाह तक तथा ऐसे कर्मचारी के मामले मे जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं या मृत होते हैं के मामले में दो हज़ार चार सौ रुपये प्रतिमाह तक सीमित कर दी जाएगी । "

(5) (क) जहाँ पारिवारिक पेंशन एक से अधिक विधवाओं को देय है वहां पारिवारिक पेंशन विधवाओं को बराबर-बराबर के अंशों में अदा की जाएगी ;

(ख) किसी विधवा की मृत्यु होने पर उसके पारिवारिक पेंशन का अंश उसके पात्र बच्चे को देय हो जाएगा :

परंतु यह शर्त है कि यदि विधवा का कोई बच्चा न हो तो पारिवारिक पेंशन का उसका अंश व्यपगत नहीं होगा और वह अन्य विधवाओं को बराबर-बराबर अंशों में देय होगा अथवा यदि केवल एक ही ऐसी अन्य विधवा हो तो वह उसे पूरी की पूरी अदा की जाएगी

(ग) जहाँ मृत कर्मचारी अथवा पेंशनर की विधवा जीवित है परंतु उसने अपने पीछे किसी ऐसी अन्य पत्नी का पात्र बच्चा अथवा बच्चे छोड़े हों जो जीवित नहीं है वहां पात्र बच्चा अथवा बच्चे पारिवारिक पेंशन के उस अंश के पात्र होंगे जो उसकी/उनकी मां को तब प्राप्त हुआ होता जब वह कर्मचारी अथवा पेंशनर की मृत्यु के समय जीवित होती; परंतु यह शर्त है कि ऐसे बच्चे अथवा बच्चों, अथवा विधवा अथवा विधवाओं को देय पारिवारिक पेंशन के अंश अथवा अंशों का देय होना बंद हो जाने पर वह अथवा वे व्यपगत नहीं होंगे परंतु वे उस अन्य विधवा अथवा उन अन्य विधवाओं अथवा उस अन्य बच्चे अथवा उन अन्य बच्चों को बराबर-बराबर के अंश में देय होंगे जो अन्यथा पात्र हो/ हों और यदि केवल एक विधवा अथवा बच्चा हो तो वह ऐसी विधवा अथवा बच्चे को पूरी की पूरी अदा की जाएगी ;

(घ) जहाँ पारिवारिक पेंशन दो बच्चों को देय है वहाँ वह उन बच्चों को उपर्युक्त उप विनियम (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट विधि से अदा की जाएगी;

(ङ) इस विनियम में यथा उपसंबंधित इस स्थिति को छोड़कर पारिवारिक पेंशन एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों को एक ही समय में देय नहीं होगी ।

(6) जहाँ कोई महिला कर्मचारी अथवा पुरुष अपने पीछे न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद हुए पति अथवा विधवा को छोड़कर और कोई बच्चा अथवा बच्चे अपने पीछे नहीं छोड़कर मर जाता/जाती है तब मृत कर्मचारी से संबधित पारिवारिक पेंशन, जीवित रहने वाले व्यक्ति को देय होगी :

परंतु यह शर्त है कि जहाँ व्यभिचार के आधार पर न्यायिक संबंध विच्छेद मंजूर किया गया हो और ऐसे न्यायिक संबंध विच्छेद की अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे मामले में

पारिवारिक पेंशन जीवित रहने वाले व्यक्ति को देय नहीं होगी । बशर्ते जीवित रहनेवाला व्यक्ति व्यभिचार करने का दोषी ठहराया गया हो ।

(7) (क) जहाँ कोई महिला कर्मचारी अथवा पुरुष कर्मचारी अपने पीछे न्यायिक रूप से संबंध विच्छेद हुए पति/पत्नी अथवा बच्चा अथवा बच्चों को छोड़कर, मृत हो जाता है वहाँ मृतक व्यक्ति के संबंध में देय पारिवारिक पेंशन जीवित रहने वाले व्यक्ति को देय होगी बशर्ते यह ऐसे बच्चे या बच्चों का अभिभावक हो :

(ख) जहाँ जीवित बचने वाले व्यक्ति का ऐसे बच्चे अथवा बच्चों का अविभावक होना बंद हो जाता है वहाँ ऐसी पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति को देय होगी जो ऐसे बच्चे अथवा बच्चों का वास्तविक अभिभावक हो ।

(8) यदि पारिवारिक पेंशन प्रदान किये जाने के पात्र पुत्र अथवा पुत्री अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता/लेती है तो पारिवारिक पेंशन ऐसे पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को सीधे ही अदा की जा सकती है ।

(9) (क) जो व्यक्ति किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में इस नियमावली के अधीन पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र है । उस पर किसी कर्मचारी की हत्या करने का अपराध का दोष लगाया गया है अथवा ऐसा अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करने का अपराध का दोष लगाया गया है तो परिवार के अन्य पात्र सदस्य अथवा सदस्यों सहित ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का दावा तब तक विलंबित बना रहेगा जब तक उसके विरुद्ध शुरू की गयी अपराधी कार्रवाई का निष्कर्ष नहीं निकलता ।

(ख) यदि खंड (क) में उल्लिखित आपराधिक कार्रवाई का निष्कर्ष निकलने पर संबंधित व्यक्ति –

(i) किसी कर्मचारी की हत्या करने अथवा उसकी हत्या को प्रोत्साहित करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने से रोक लगा दी जाएगी तथा जो कर्मचारी की मृत्यु होने की तारीख से परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को देय होगी ;

(ii) किसी कर्मचारी की हत्या करने अथवा उसको प्रोत्साहित करने के दोष से मुक्त कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से देय होगी ।

(ग) किसी कर्मचारी की सेवा निवृत्ति के बाद उसकी मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन के देय होने के लिए उप खंड (क) और (ख) के उपबंध भी लागू होंगे ।

(ङ) विनियम के 40 के उप-विनियम (5) के खण्ड (घ) और (ङ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः -

"(घ) ऐसा कर्मचारी जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से सेवानिवृत्त होता है तथा जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख से इस विनियमावली से अधिशासित होने का विकल्प चुनता है, जहाँ सारांशीकरण के लिए आवेदन, विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में निर्धारित अवधि में किया जाता है;

(ङ) ऐसा अधिकारी जो बैंक की सेवा में नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद था, पहले सेवा निवृत्त होता है, परन्तु जो विनियम 3 के उप-विनियम (2) के खण्ड (ख) में निर्धारित अवधि के भीतर, उनके सेवानिवृत होने के तुरन्त बाद के दिन को आवेदन करता है;

(च) जो नवम्बर 1993 की पहली तारीख को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं परंन्तु जिनकी मृत्यु अधिसूचित किये जाने से अगले दिन होती है तथा जहाँ मृतक के परिवार द्वारा सारांशीकरण के लिए आवेदन पत्र, विनियम 3 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा निर्धारित अवधि में किया जाता है;

(छ) जिस कर्मचारी को विनियम 29 के अधीन अशक्तता पेंशन अथवा विनियम 30 के अधीन अनुकंपा भत्ता अथवा विनियम 32 के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए अशक्तता पेंशन स्वीकार्य है उसके संबंध में सारांशीकरण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये डाक्टरी प्रमाणपत्र की तारीख को निरपेक्ष बन जायेगा। "

(च) विनियम 51 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"51. वह तारीख जिससे पेंशन देय हो जाती है

(1) जिस कर्मचारी पर विनियम 42 और विनियम 45 के उपबंध लागू होते हैं उसके मामले को छोड़कर किसी कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन को छोड़कर, पेंशन उस तारीख से देय होगी जो किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने की तारीख के बाद की तारीख अथवा नवम्बर 1993 की पहली तारीख में से जो भी बाद में हो वह तारीख हो ।

(2) पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी अथवा पेंशन की मृत्यु की तारीख के बाद की तारीख अथवा नवम्बर 1993 की पहली तारीख में से जो भी बाद में हो उससे देय हो जाएगी ।

(3) पारिवारिक पेंशन सहित पेंशन उस दिन के लिए देय होगी जिस दिन पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होती है । "

एम आर. राव, मुख्य महाप्रबन्धक
[विज्ञापन/III/IV/66/2002-असाधारण]

NOTIFICATION

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

(Head Office)

NOTIFICATION

Mumbai the 29th April, 2002

No. EXIM/Pension/2002.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 39 read with sub-section (3) of section 27 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of Export-Import Bank of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend Export-Import Bank of India(Employees') Pension Regulation, 2000, namely:

1.(1) These regulations may be called the Export-Import Bank of India (Employees') Pension(Amendment) Regulations, 2002;

(2)Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export-Import Bank of India(Employees') Pension Regulation, 2000, -

(a). For Regulation 3 the following Regulation shall be substituted, namely :

"**3 Application**,-

These regulations shall apply to employees who,-

(1) (a) were in the service of the Bank on or after the 1st day of January, 1986 but had retired before the 1st day of November, 1993; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (b), the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund including interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the bank; or

(2) (a) have retired on or after the 1st day of November, 1993 but before the notified date; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the

Fund; and

(c) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (b), the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum on the said amount from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the bank; or

(3) (a) are in the service of the Bank before the notified date and continue to be in the service of the Bank on or after the notified date; and

(b) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(c) authorise the trust of the Provident Fund to transfer the entire contribution of the Bank alongwith the interest accrued thereon to the credit of the Fund constituted for the purpose under regulation 5; or

(4) join the service of the Bank on or after the notified date; or

(5) were in the service of the Bank during any time on or after the 1st day of November, 1993 and had died after retirement but before the notified date, their family shall be entitled for the amount of pension

payable to them from the date on which they would have been entitled to pension under these regulations, had they been alive till the date on which they died, if the family of the deceased -

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(b) refund within sixty days after the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a), the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the bank; or

(6) joined the service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but who have died while in the service of the Bank before the notified date, their family shall be entitled to the family pension under these regulations;

Provided that the family of such a deceased employee refunds within one hundred and eighty days from the notified date the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund, if any, and interest accrued thereon together with further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account

till the date of refund of the aforesaid amount to the bank;

Provided further that the family of such a deceased employee shall apply in writing for grant of family pension; or

(7) were in the service of the Bank during any time on or after the 1st day of January, 1986 and had died while in service on or before the 31st day of October, 1993 or had retired on or before the 31st day of October, 1993 but died before the notified date in which case their family shall be entitled to the pension or the family pension, as the case may be, under these regulations, if the family of the deceased, -

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become member of the Fund; and

(b) refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a) above the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund and interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account till the date of refund of the aforesaid amount to the bank;

(8) joined the service of the Bank on or before the 31st day of October, 1993 and who died

while in service on or after the 1st day of November, 1993, but before the notified date in which case their families shall be entitled to family pension under these regulations if the family of the deceased employee, -

(a) exercise an option in writing within one hundred and twenty days from the notified date to become a member of the Fund; and

(b) refund within sixty days of the expiry of the said period of one hundred and twenty days specified in clause (a), the entire amount of the Bank's contribution to the Provident Fund, including interest accrued thereon together with a further simple interest at the rate of six per cent per annum from the date of settlement of the Provident Fund account of the employee till the date of refund of the aforesaid amount to the bank;

(9) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2), (3), (5) and (8) an option exercised before the notified date by an employee or the family of a deceased employee in pursuance of the settlement shall be deemed to be an option for the purpose of this Chapter if such an employee or the family of such deceased employee refunds within sixty days from the notified date, the amount of the Bank's contribution to the Provident Fund including interest accrued thereon together with a further simple interest in accordance with the provisions of this Chapter and in case

employer's contribution of Provident Fund has not been received from the Provident Fund Trust, has authorised or authorises within sixty days from the notified date, the trustees of the Provident Fund of the Bank to transfer the entire contribution of the Bank to the Provident Fund including interest accrued thereon in accordance with the provisions of this Chapter to the credit of the Fund constituted for this purpose under Regulation 5."

(b) For regulation 33 the following regulation shall be substituted, namely-

"33. **Payment of pension or family pension in respect of employees who retired or died between 1.1.1986 to 31.10.1993,-**

(1) Employees who have retired from the service of the Bank between the 1st day of January, 1986 and the 31st day of October, 1993 shall be eligible for pension with effect from the 1st day of November, 1993.

(2) The family of a deceased employee governed by the provisions contained in sub-regulation (7) of regulation 3 shall be eligible for family pension with effect from the 1st day of November, 1993 or the date following the date of death whichever is later."

(c) For regulation 35 the following sub-regulation shall be substituted, namely-

"35. **Minimum pension -**

The amount of minimum pension shall be, -

(a) rupees three hundred and seventy-five per month in respect of an employee who had retired before the 1st day of November, 1993; and

(b) rupees seven hundred and twenty per month in respect of an employee who retired on or after the 1st day of November, 1993."

(d) for regulation 39, the following regulation shall be substituted, namely :-

39. Period of payment of family pension -

(1) The period for which family pension is payable shall be:

(a) in the case of a widow or a widower, up to the date of death or remarriage, whichever is earlier;

(b) in the case of a son, until he attains the age of twenty-five years; and

(c) in the case of an unmarried daughter, until she attains the age of twenty-five years or until she gets married, whichever is earlier:

Provided that if the son or daughter of an employee is suffering from any disorder or disability of mind or is physically crippled or disabled so as to render him or her unable to earn a living even after attaining the age of twenty-five years, the family pension shall be payable to such son or daughter for life subject to the following conditions, namely:-

(i) if such son or daughter is one among two or more children of the employee, the family pension shall be initially payable to the minor children in the order set out in clause (e) of sub-regulation (1) until the last minor child attains the age of twenty-five years, and thereafter the family pension shall be resumed in favour of the son or daughter suffering from disorder or disability of mind or who is physically crippled or disabled and shall be payable to him or her for life;

(ii) if there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in the order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible:

Provided that where the family pension is payable to such twin children, it shall be paid in the manner set out in clause (f) of sub-regulation (1);

(iii) the family pension shall be paid to such son or daughter through the guardian as if he or she were a minor except in the case of the physically crippled son or daughter who has attained the age of majority;

(iv) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the Competent Authority shall satisfy that the handicap is of such a nature as to prevent him or her from earning his or

her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from a medical officer approved by the Bank setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(v) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce every three years a certificate from a medical officer approved by the Bank to the effect that he or she continues to suffer from disorder or disability of mind or continues to be physically crippled or disabled.

Explanation.- The grant of family pension to disabled children beyond the age limit specified in this regulation is subject to the following conditions, namely:-

(i) a daughter shall become ineligible for family pension under this sub-regulation from the date she gets married;

(ii) the family pension payable to such son or daughter shall be stopped if he or she starts earning his or her livelihood. In such cases, it shall be the duty of the guardian or son or daughter to furnish a certificate to the Bank every month that-

(A) he or she has not started earning his or her livelihood;

(B) in case of daughter, that she has not yet married;

(d) if a deceased employee or pensioner leaves behind a widow or widower, the family pension shall become payable to the widow or widower, failing which to the eligible child;

(e) family pension to the children shall be payable in the order of their birth and the younger of them will not be eligible for family pension unless the elder next above him or her has become ineligible for the grant of family pension:
Provided that where the family pension is payable to twin children, it shall be paid in the manner set out in clause (f) of the sub-regulation (1);

(f) where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares:
Provided that where one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and where both of them cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children, as the case may be;

(2) Where the deceased employee or a pensioner leaves behind more children than one, the eldest eligible child shall be entitled to the family pension for the period mentioned in clauses (b) or (c) of sub-regulation (1) as the case may be, and after the expiry of that period, the next child shall become eligible for the grant of family pension.

(3) Where family pension is granted under this regulation to a minor, it shall be payable to the guardian on behalf of the minor.

(4) In case both wife and husband are employees of the Bank and are governed by the provisions of this regulation and one of them dies while in service or after retirement, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the surviving husband or wife, as the case may be, and in the event of death of the husband or wife, the surviving child or children shall be granted the two family pensions in respect of the deceased parents subject to the limits specified below, namely:-

(a) if the surviving child or children is or are eligible to draw two family pensions at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 38, the amount of both pensions shall be limited to two thousand five hundred rupees only per mensem in respect of employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1993 and four thousand eight hundred rupees per mensem only in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November, 1993;

(b) if one of the family pensions ceases to be payable at the rates mentioned in sub-clause (i) of clause (a) or sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 38 and in lieu thereof,

the family pension at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 38 becomes payable, the amount of both the pensions shall also be limited to two thousand five hundred rupees per mensem in respect of employee who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1993 and four thousand eight hundred rupees per mensem in respect of employees who retired or died on or after the 1st day of November,1993;

(c) if both the family pensions are payable at the rate mentioned in sub-regulation (1) of regulation 38, the amount of the two pensions shall be limited to one thousand two hundred and fifty rupees per mensem in the case of employees who retired or died while in service prior to the 1st day of November, 1993 and two thousand four hundred rupees per mensem in respect of employee who retired or died on or after the 1st day of November, 1993."

(5) (a) where family pension is payable to more widows than one, the family pension shall be paid to the widows in equal shares;

(b) on the death of a widow, her share of the family pension shall become payable to her eligible child:

Provided that if the widow is not survived by any child, her share of the

family pension shall not lapse but shall be payable to the other widows in equal shares, or if there is only one such other widow, in full, to her;

(c) where the deceased employee or pensioner is survived by a widow but has left behind eligible child or children from another wife who is not alive, the eligible child or children shall be entitled to the share of family pension which the mother would have received if she had been alive at the time of the death of the employee or pensioner:

Provided that on the share or shares of family pension payable to such a child or children or to a widow or widows ceasing to be payable, such share or shares shall not lapse, but shall be payable to the other widow or widows or to other child or children otherwise eligible, in equal shares, or if there is only one widow or child, in full to such widow or child;

(d) where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in the manner specified in clause (f) of sub-regulation (1) above;

(e) except as provided in this sub-regulation, the family pension shall not be payable to more than one member of the family at the same time.

(6) Where a female employee or a male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow and no child or children, the family pension in respect of the deceased

shall be payable to the person surviving:

Provided that where in case the judicial separation is granted on the ground of adultery and the death of the employee takes place during the period of such judicial separation, the family pension shall not be payable to the person surviving if such person surviving was held guilty of committing adultery.

(7) (a) where a female employee or a male employee dies leaving behind a judicially separated husband or widow with a child or children, the family pension payable in respect of the deceased shall be payable to the surviving person provided he or she is the guardian of such child or children;

(b) where the surviving person has ceased to be the guardian of such child or children, such family pension shall be payable to the person who is the actual guardian of such child or children.

(8) If the son or unmarried daughter eligible for the grant of family pension has attained the age of eighteen years, the family pension may be paid to such son or unmarried daughter directly.

(9) (a) If a person, who in the event of death of an employee while in service, is eligible to receive family pension under these regulations, is charged with the

offence of murdering the employee or for abetting in the commission of such an offence, the claim of such person, including other eligible member or members of the family to receive the family pension, shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceedings instituted against him:

(b) if on conclusion of the criminal proceedings referred to in clause (a), the person concerned -

(i) is convicted for the murder or abetting in the murder of the employee, such a person shall be debarred from receiving the family pension which shall be payable to the other eligible member of the family, from the date of death of the bank employee;

(ii) is acquitted of the charge of murder or abetting in the murder of the employee, the family pension shall be payable to such person from the date of death of the employee;

(c) the provisions of sub-clauses (a) and (b) shall also apply for the family pension becoming payable on the death of an employee after his retirement.

(e) in regulation 40, for clauses (d) and (e) of sub-regulation (5), the following shall be substituted, namely -

"(d) who has retired prior to the 1st day of November, 1993 and who opts to be governed by these regulations, on the 1st day of November, 1993, where the application for commutation is made within the period specified by clause (b) of the sub-regulation (1) of regulation 3;

(e) who was in the service of the Bank on or after the 1st day of November, 1993 but who retired prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application is made within the period specified by clause (b) of sub- regulation (2) of regulation 3;

(f) who retired on or after the 1st day of November, 1993, but died prior to the notified date, on the day immediately following the date of his retirement, where the application for commutation is made by the family of the deceased within the period specified by clause (a) of sub-regulation (5)of regulation 3;

(g) in respect of whom invalid pension under regulation 29 or compassionate allowance under regulation 30 or compulsory retirement under regulation 32 is admissible, commutation shall become absolute on the date of the medical certificate given by a medical officer approved by the Bank."

(f) for regulation 51, the following regulation shall be substituted, namely -

"51. Date from which pension becomes payable

(1) Except in the case of an employee to whom the provisions of regulation 42 and regulation 45 apply, a pension other than family pension shall become payable from the date following the date on which an employee retires or from First day of November, 1993, whichever is later.

(2) Family pension shall become payable from the date following the date of death of the employee or the pensioner or from First day of November, 1993, whichever is later.

(3) Pension including family pension shall be payable for the day on which its recipient dies."

S R RAO, Chief General Manager

[ADVT/III/IV/66/2002-Exty]

Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002